: सादर प्रकाशनार्थ :

जस्टिस डी के जैन होंगे 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीके जैन को 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया है। वह 24 जनवरी को सर्वोच्च अदालत से सेवानिवृत्त होने के बाद पद संभालेंगे। इस संबंध में सोमवार दिनांक 7 जनवरी 2013 को सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पुष्करवाणी ग्रुप ने जानकारी लेते हुए बताया कि जस्टिस जैन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभालने के बाद अप्रैल, 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 9 अगस्त, 1974 को दिल्ली में वकालत शुरू की थी। 1983 में उन्हें आयकर विभाग के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया था। इसके बाद विभाग के अतिरिक्त व वरिष्ठ अधिवक्ता के पदों पर रहने के बाद उन्हें 19 मार्च, 1991 को दिल्ली हाईकोर्ट के एडीशनल जज और फिर स्थायी जज के तौर पर 23 जनवरी, 1992 को नियुक्त किया गया।

उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्य के तौर पर भी अपनी सेवाएं दीं। 1994 में उन्हें केंद्रीय सलाहकार समिति में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। वह इस बोर्ड में चेयरमैन के पद पर भी रहे। मार्च, 2005 में पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई और इसके बाद उन्होंने अप्रैल, 2006 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद संभाला। अब 24 जनवरी को रिटायर होने के बाद वह विधि आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। 20वें विधि आयोग का गठन सरकार के आदेश के मुताबिक 1 सितंबर, 2012 से किया जाना था, जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा, जो 31 अगस्त, 2015 को खत्म होगा।